भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3929
दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल की नियमित आपूर्ति तक पहुंच

†3929. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः
श्री के. सुधाकरनः
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की नियमित आपूर्ति तक पहुंच वाले परिवारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य पर कोई संज्ञान लिया है कि बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिकूलताओं और घटते स्वच्छ जल स्रोतों के कारण समय के साथ यह आंकड़ा खराब होने का अनुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ग) गंभीर जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:
(घ) क्या सरकार को पता है कि भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण देश भर में भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में राज्यवार कितने जिलों में गंभीर या अत्यधिक दोहन वाले भूजल स्तर की सूचना मिली है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की। पेयजल 'राज्य' का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन की स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की नियमित आपूर्ति तक पहुंच वाले परिवारों का और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। यह जानकारी भी जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कीम की पूरी डिजाइन अवधि के दौरान पेयजल स्रोतों के स्थायित्व के लिए प्रावधान किए गए हैं। स्रोत स्थिरता योजनाएं ग्राम कार्य योजनाओं (वीएपी) का हिस्सा बनती हैं जो योजना के कार्यान्वयन से पहले प्रत्येक गांव के लिए तैयार की जाती हैं। इसे वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण आदि जैसे स्थायित्व उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

भूजल आधारित स्रोतों के लिए, बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं योजना का हिस्सा होंगी। सतही जल आधारित एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) के लिए, वाटरशेड प्रबंधन, जल संरक्षण आदि जैसे स्रोत स्थिरता उपायों को सुनिश्चित किया जाना है। इसके अलावा, जेजेएम के अंतर्गत मनरेगा, 15वें वित्त आयोग का ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को सशर्त अनुदानों, एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधियों, सामुदायिक अंशदान आदि जैसी अन्य ग्राम स्तर योजनाओं के सामजंस्य में स्थानीय और पारंपरिक पेयजल स्रोतों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण करने की परिकल्पना भी की गई है।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों सहित इसके संरक्षण से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा स्कीमों के संदर्भ में उत्प्रेरक बनने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता देने तक सीमित है। तथापि, देश में भूजल स्तर में कमी को रोकने और इसे बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें गंभीर जल स्तर वाले क्षेत्र भी शामिल हैं:

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने लगभग 25 लाख वर्ग किमी के पूरे मैप करने योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभृत्त मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण संबंधी उपाय शामिल हैं।
- राष्ट्रीय जल नीति (2012) जल संसाधन विभाग, आरडी एंड जीआर द्वारा तैयार की गई है, जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की सिफारिश करती है।
- सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग परिस्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करते हुए एक वृहत स्तरीय आयोजना है।

इसके अलावा, देश में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf

(घ) सीजीडब्ल्यूबी मार्च/अप्रैल/मई, अगस्त, नवम्बर और जनवरी माह के दौरान प्रत्येक वर्ष में चार बार देश भर में भूजल स्तर की निगरानी करता है।

भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का मूल्यांकन करने के लिए, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नवंबर 2023 के दौरान एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (2013-2022) के दशकीय औसत से की गई है। देश के संबंध में राज्य-वार दशकीय जल स्तर में उतार-चढ़ाव माध्य (मानसून के बाद 2013 से 2022) और मानसून के बाद 2023 के साथ **अनुबंध-II** में दिया गया है।

तथापि, भूजल जल पुनर्भरणीय संसाधन होने के कारण वर्षा और सिंचाई से वापसी प्रवाह, नहर रिसाव, सतही जल निकायों से पुनर्भरण आदि जैसे अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रतिवर्ष पुनर्भरण होता है।

(ङ) देश के गतिशील भूजल संसाधनों का मूल्यांकन वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस कार्य में वार्षिक भूजल पुनर्भरण, निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन और भूजल निष्कर्षण का मूल्यांकन शामिल है। एक मूल्यांकन इकाई में भूजल निष्कर्षण के चरण की गणना वार्षिक निष्कर्षण योग्य संसाधन के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में की जाती है। इसके आधार पर, मूल्यांकन इकाइयों को सुरक्षित, अर्ध-गंभीर, गंभीर या अति-दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2023 के भूजल संसाधन मूल्यांकन के अनुसार, कुल 357 जिलों में अतिदोहित, गंभीर और अर्ध-महत्वपूर्ण (ओसीएस) मूल्यांकन इकाइयां हैं। वर्ष 2023 के मूल्यांकन के अनुसार अति-दोहित और गंभीर श्रेणी वाले जिलों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

*****

अनुबंध-1

जेजेएम: दिनांक 16.12.2024 तक ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

संख्या लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.08.2019 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		15.08.2019 से नल जल कनेक्शन दिए गए ग्रामीण परिवार		अब तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	% में	संख्या	% में	संख्या	% में
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3	दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12	बिहार	167.55	3.16	1.89	157.19	93.82	160.36	95.71
13	उत्तराखंड	14.50	1.30	8.99	12.77	88.05	14.07	97.04
14	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	92.57	0.39	96.05
15	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.23	88.78	3.37	92.59
16	लक्षद्वीप	0.13		0.00	0.12	91.17	0.12	91.17
17	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.50	37.73	1.20	90.69
18	महाराष्ट्र	146.81	48.44	32.99	80.27	54.68	128.71	87.67
19	तमिलनाडु	125.29	21.76	17.37	88.52	70.65	110.28	88.02
20	उत्तर प्रदेश	266.96	5.16	1.93	226.29	84.77	231.46	86.70
21	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.10	81.24	6.34	84.51
22	जम्मू एवं कश्मीर	19.23	5.75	29.92	9.77	50.81	15.53	80.73
23	असम	72.12	1.11	1.54	57.50	79.73	58.61	81.28
24	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.25	80.66	5.30	81.36
25	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.58
26	छत्तीसगढ़	50.05	3.20	6.39	36.78	73.49	39.98	79.88
27	कर्नाटक	101.31	24.51	24.19	58.66	57.90	83.17	82.09
28	ओडिशा	88.70	3.11	3.50	64.27	72.46	67.38	75.96
29	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.65	41.51	70.40	73.69
30	मध्य प्रदेश	111.91	13.53	12.09	61.05	54.55	74.58	66.65
31	झारखंड	62.55	3.45	5.52	30.71	49.10	34.16	54.62
32	केरल	70.84	16.64	23.49	21.68	30.60	38.32	54.09
33	राजस्थान	107.56	11.74	10.92	47.32	44.00	59.06	54.91
34	पश्चिम बंगाल	175.40	2.15	1.22	92.34	52.65	94.49	53.87
	कुल	**19,36.15**	**3,23.63**	**16.72**	**12,13.06**	**62.65**	**15,36.69**	**79.37**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

अनुबंध-II

राज्य-वार दशकीय जल स्तर दशकीय उतार-चढ़ाव औसत (मानसून के बाद 2013 से 2022) और मानसून के बाद 2023

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्लेषण किए गए कुओं की संख्या	विभिन्न गहराई वाले कुओं की संख्या												कुल कुओं की संख्या		कुओं का कुल %	
			वृद्धि						कमी									
			0 से 2	%	2 से 4	%	> 4	%	0 से 2	%	2 से 4	%	> 4	%	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
1	आंध्र प्रदेश	693	92	13.3	27	3.9	34	4.9	381	55.0	119	17.2	40	5.8	153	540	22.08	77.92
2	अरुणाचल प्रदेश	21	3	14.3	1	4.8	0	0.0	16	76.2	1	4.8	0	0.0	4	17	19.05	80.95
3	असम	209	97	46.4	7	3.3	0	0.0	92	44.0	8	3.8	5	2.4	104	105	49.76	50.24
4	बिहार	606	226	37.3	27	4.5	0	0.0	327	54.0	21	3.5	4	0.7	253	352	41.75	58.09
5	छत्तीसगढ़	692	340	49.1	42	6.1	4	0.6	260	37.6	32	4.6	13	1.9	386	305	55.78	44.08
6	गोवा	80	49	61.3	3	3.8	2	2.5	24	30.0	0	0.0	2	2.5	54	26	67.50	32.50
7	गुजरात	503	193	38.4	67	13.3	47	9.3	148	29.4	28	5.6	19	3.8	307	195	61.03	38.77
8	हरियाणा	577	170	29.5	54	9.4	33	5.7	184	31.9	67	11.6	69	12.0	257	320	44.54	55.46
9	हिमाचल प्रदेश	52	28	53.8	0	0.0	3	5.8	20	38.5	0	0.0	1	1.9	31	21	59.62	40.38
10	झारखंड	230	90	39.1	12	5.2	3	1.3	101	43.9	14	6.1	10	4.3	105	125	45.65	54.35
11	कर्नाटक	1160	403	34.7	69	5.9	32	2.8	501	43.2	116	10.0	37	3.2	504	654	43.45	56.38
12	केरल	1169	809	69.2	51	4.4	6	0.5	284	24.3	13	1.1	5	0.4	866	302	74.08	25.83
13	मध्य प्रदेश	1060	397	37.5	101	9.5	47	4.4	385	36.3	87	8.2	43	4.1	545	515	51.42	48.58
14	महाराष्ट्र	1387	549	39.6	96	6.9	37	2.7	512	36.9	119	8.6	71	5.1	682	702	49.17	50.61
15	मेघालय	29	12	41.4	0	0.0	0	0.0	17	58.6	0	0.0	0	0.0	12	17	41.38	58.62
16	नागालैंड	9	3	33.3	1	11.1	0	0.0	4	44.4	1	11.1	0	0.0	4	5	44.44	55.56
17	ओडिशा	1133	576	50.8	35	3.1	8	0.7	442	39.0	59	5.2	13	1.1	619	514	54.63	45.37
18	पंजाब	176	47	26.7	8	4.5	6	3.4	64	36.4	24	13.6	27	15.3	61	115	34.66	65.34
19	राजस्थान	753	146	19.4	69	9.2	38	5.0	223	29.6	121	16.1	156	20.7	253	500	33.60	66.40

20	तमिलनाडु	771	285	37.0	154	20.0	121	15.7	163	21.1	34	4.4	14	1.8	560	211	72.63	27.37
21	तेलंगाना	616	156	25.3	76	12.3	82	13.3	223	36.2	46	7.5	33	5.4	314	302	50.97	49.03
22	त्रिपुरा	63	20	31.7	1	1.6	0	0.0	37	58.7	4	6.3	1	1.6	21	42	33.33	66.67
23	उत्तर प्रदेश	606	275	45.4	31	5.1	9	1.5	229	37.8	47	7.8	15	2.5	315	291	51.98	48.02
24	उत्तराखंड	147	58	39.5	20	13.6	12	8.2	43	29.3	10	6.8	4	2.7	90	57	61.22	38.78
25	पश्चिम बंगाल	573	325	56.7	11	1.9	1	0.2	213	37.2	18	3.1	5	0.9	337	236	58.81	41.19
26	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	108	72	66.7	0	0.0	0	0.0	36	33.3	0	0.0	0	0.0	72	36	66.67	33.33
27	चंडीगढ़	12	6	50.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	8.3	4	33.3	6	6	50.00	50.00
28	दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	23	13	56.5	0	0.0	0	0.0	8	34.8	1	4.3	1	4.3	13	10	56.52	43.48
29	दिल्ली	58	22	37.9	13	22.4	8	13.8	6	10.3	5	8.6	4	6.9	43	15	74.14	25.86
30	जम्मू एवं कश्मीर	211	121	57.3	3	1.4	0	0.0	79	37.4	7	3.3	1	0.5	124	87	58.77	41.23
31	पुदुचेरी	7	4	57.1	1	14.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	5	2	71.43	28.57
	कुल	**13734**	**5587**	**40.7**	**980**	**7.1**	**533**	**3.9**	**5025**	**36.6**	**1003**	**7.3**	**597**	**4.3**	**7100**	**6625**	**51.70**	**48.24**

अनुबंध-III

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अति-दोहित और गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आने वाली मूल्यांकन इकाइयों की जिला-वार संख्या

राज्य	जीडब्ल्यूआरए-2023 के अनुसार राज्य में अति-दोहित जिलों की संख्या	जीडब्ल्यूआरए-2023 के अनुसार राज्य में गंभीर जिलों की संख्या
छत्तीसगढ़	0	1
दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	3	0
दिल्ली	5	4
गुजरात	2	2
हरियाणा	16	1
कर्नाटक	5	3
मध्य प्रदेश	5	1
महाराष्ट्र	0	1
पंजाब	18	2
राजस्थान	29	0
तमिलनाडु	9	2
तेलंगाना	0	1
उत्तर प्रदेश	6	6
कुल	**98**	**24**

****